मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमाक १९सन् २००२

मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण :संशोधन : अधिनियम २००२

: दिनांक ११सितम्बर .२००२ को राज्यपाल की अनुमती प्ारप्त हुई अनुमति मध्य प्रदेश राजपत्र

: असाधारण : मे दिनांक १९ ११सितम्बर .२००२ को पथम बार प्रकाशीत की गई :

मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम १८८६ को सशोधित करने हेतु अधिनियम

भरत गणराज्य के तिरपनवे वर्ष मेमध्य प्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप मे यह अधिनियम हो :

संक्षिप्त नाम 1 अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण : संशोधन : अधिनियम २००२ है !

नई धारा ४ क ओर ४-ख का अंतः-स्थापन २ मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण :संशोधन : अधिनियम १९८६ :क्रमाक-३ सन् १९८७ :जो इसमे इसके पश्चात्मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है :की धारा ४ के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाये अर्थात :-

जल स्त्रोत का अस्थायी रुप से अधिग्रहण करना ४-क १. तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि मे अंतर्विष्ट किसी बात केहोते हुयेभी यदि कलेक्टर की राय मे घरेलू प्रयोजनो के लिये जनता को जलप्रदाय बनाये रखने या बडाने के लिये जल प्ारप्त करने केलिये ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हे तो वह लिखित मे आदेश द्वारा धारा -३ के अधीन इस रुप मे घोषित किये गये जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र मे स्थित किसी जल स्त्रोत को ऐसी कालावधिके लिये जैसी की आदेश मे विनिर्दिष्ट की जाए जो चार माह से अधिक की नही होगी अस्थायी रुप से अधिग्रहण कर सकेगा ओर अधिग्रहण करने केसंबध मे ऐसे ओर आदेश कर सकेगा जो कि आवश्यक या समीचीन हो ऐसा आादेश यथास्थिति जल स्त्रोत के खामी या जल स्त्रोत का कब्जा रखने वाले व्यक्तिी को ऐसी रीति मे जैसी की वहउचित समझे सम्बोधित तथा तामिल किया जायेगा :

परन्तु घरेलू प्रयोजन केलिये जल स्त्रोत केऐसे स्वामी या जल स्त्रोत का कब्जा रखने वाले व्यक्ति को जल की पर्याप्त मात्रा का प्रदाय जारी रहेगा !

२ : जब कभी किसी जल स्त्रोत का उपधारा १. के अधीन अधिग्रहण किया जाता है तोऐसे अधिग्रहण की कालावधि को इन्ही परिस्थितियों मे ऐसी ओर कालावधि तक बढाया जा सकेगा जो दो माह से अधीक की नही होगी .

जल स्त्रोत के अधिग्रहण ४-क १. जल स्त्रोत का अधिग्रहण करनेके लिये धारा ४.-क की उपधारा १. के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के परिणामस्वरुप उक्त जल स्त्रोत का स्वामी या का

के लिय
किराये
ओर

कब्जा रखने वाले व्यक्तिी अधिग्रहण के प्रत्येक मासकेलिये
जल स्त्रोत के विकास ओर समस्त संमधित अधोसंरचनाा के
लिये चालू बाजार मूल्य के दो प्रतिशत केबराबर किरायेके
संदाय का हकदार होगा

नुकसानी
कासंदाय

२. धारा ४.-क की उपधारा १. के अधीन अधिग्रहण की कालावधि
के लिये जलप्रदाय से मशाीनरी के प्रचालन ओर
संधारण पर संमस्त व्ययजल स्त्रोत का अधिग्रहण करनेवाले
प्राधिकारी द्वारा वहन किया जायेगा !
स्पष्टीकरण -प्रचालन ओर संधारण व्ययो मे विद्युत प्रभार ओर
मरम्मतकेलिये पुर्जे आदि सम्मिलित होगे!